महिला सशक्तिकरण की

रिद्धि-सिद्धि योजना

अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री,राजस्थान

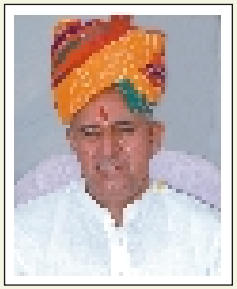

परसादी लाल मीणा
माननीय मंत्री, सहकारिता

एक सब के लिए
सब एक के लिए

सहकारिता विभाग, राजस्थान

महिला सहकारी समितियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान व उर्वरकों की बिक्री क ाप्रदेश में अनूठी ''रिद्धि-सिद्धि'' योजना शुरु की गई है। रिद्धि-सिद्धि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य पर रोजमर्रा की जरुरत की वस्तुओं की गाँव में ही उपलब्धता बनाए रखने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। संभवतः राजस्थान देश का एकमात्र और पहला प्रदेश होगा, जहां ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता सामग्री और किसानों की जरुरत के अनुसार खाद-बीज के वितरण का विस्तृत नेटवर्क महिला सहकारी समितियों के माध्यम से बिछाया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक ओर बजटीय सहायता उपलब्ध कराने की पहल की है, वहीं सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों को संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए इन समितियों को आवश्यक अनुज्ञा पत्र दिलाने, वित्तीय, प्रबन्धकीय व अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रिद्धि-सिद्धि योजना में इस वर्ष प्रदेश में 500 महिला सहकारी समितियों का चयन किया जा रहा है। प्रदेश में चयनित समितियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक प्रयास हो सकेगा, वहीं गाँव, ग्रामीण और जरुरतमंद लोगों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। इन समितियों द्वारा संचालित बिक्री केन्द्रों से ग्रामीण महिलाएं आसानी से खरीदारी कर सकेगी। महिला सहकारी समितियों के कार्यों में विविधिकरण का अवसर प्राप्त होने के साथ ही स्थाई व्यवसाय प्राप्त हो सकेगा।

उद्देश्य

* महिला सहकारी समितियों का सशक्तिकरण
* महिला सहकारी समितियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की सामग्री की बिक्री

* गाँव में ही महिला समिति के माध्यम से प्रमाणिक बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि की बिक्री

वित्तपोषण

* 500 महिला सहकारी समितियों को 5 करोड़ की वित्तीय सहायता
* प्रति समिति एक लाख रुपए का अनुदान
* कार्यशील पूंजी हेतु ऋण के लिए बजटीय प्रावधान
* प्रति समिति 2 प्रतिशत की सामान्य ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी हेतु ऋण

विभागीय सहयोग

* जिला रसद अधिकारी से चयनित महिला सहकारी समिति को उचित मूल्य की दुकान संचालन का अनुज्ञा पत्र दिलवाया जायेगा
* कृषि विभाग से प्रमाणित बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि के विक्रय का अनुज्ञा पत्र जारी करवाया जायेगा
* शॉप एवं कॉमर्शियल एस्टाब्लिसमेंट एक्ट के तहत अनुज्ञा पत्र दिलवाया जायेगा
* प्रबन्धकीय अनुदान में से अनुज्ञा पत्र के लिए निर्धारित फीस का भुगतान
* क्षेत्र की क्रय-विक्रय सहकारी समिति से उचित मूल्य की सामग्री उपलब्ध कराना
* राजफैड, इफको, कृभको, राज्य बीज निगम, क्रय-विक्रय सहकारी समिति आदि के माध्यम से कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक एवं प्रमाणित बीज आदि उपलब्ध कराना

* महिला सहकारी समितियों को तकनीकी, वित्तीय, प्रबन्धकीय मार्गदर्शन व सहयोग दिलाना
* राइसम आदि से प्रशिक्षण की व्यवस्था

ग्रामीणों को सुविधा

* ग्रामीणों को गाँव में ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की सामग्री प्राप्त हो सकेगी
* महिला सहकारी समिति के माध्यम से समय पर प्रमाणिक बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि उपलब्ध हो सकेंगे
* महिला सहकारी समिति के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को विविध प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे

रिद्धि-सिद्धि योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ता कदम है। महिला सहकारी समितियों द्वारा संचालित बिक्री केन्द्रों से उचित मूल्य पर आम जरुरत की वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। महिला सहकारी समितियों को काम के नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे, वहीं उपभोक्ता व उर्वरक विक्रय क्षेत्र में बिचौलियों के शोषण पर रोक लगाने की दिशा में कारगर सहकारी प्रयास हो सकेगा।

सम्पर्क सूत्र

सहकारिता विभाग, राजस्थान/ उप/सहायक रजिस्ट्रार का कार्यालय/ संबंधित जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक